अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भैरू लाल ..... **बनाम** छीतर वगैरह .....

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.164 सन.2022(केकड़ी)

28.06.2022

भैरू लाल बनाम छीतर वगैरह (163/2022)

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.06.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया तथा साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया दोनो दर्ज कर तलबी के आदेश जारी किये और शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तारीख दी गई जिसमें अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट मादू, माणक, श्रवण व रूकमा हाजिर अदालत हुए तथा प्रार्थी/अपीलांट ने उपस्थित होकर जरिये वकील प्राथमिक विधिक आपत्ति के रूप में आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधि द्वारा वर्जित होने से वाद व प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जावें। शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त भी प्राथमिक विधिक आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाकर बिना किसी विधिक आधार के प्रकरण में लम्बी तारीख पेशियॉ देकर अनावश्य विलम्ब किया जा रहा है और विलम्ब से न्याय का हनन होता है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड संयुक्त खातेदार है जिनके कब्जे उपयोग में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट किसी भी प्रकार की दखलदांजी करने पर आमादा है जिन्हे नहीं रोका गया तो अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी और प्रार्थीगण/अपीलांटस के हितो पर कुठाराघात होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाकै ग्राम सेठन तहसील पीसांगन खसरा नम्बर 271 के वर्किंग जमाबंदी में बने खसरा नम्बर 350 का रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल आधार खसरा नम्बर 984 रकबा 0.68 है0 के कब्जे व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के समुचित आदेश प्रदान करावें अथवा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर 30 दिवस में प्राथमिक रूप से विधिक आपत्ति पर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014(1)डी.एन.जे.(राज0) पेज 35, आर0वी0जे0(23) 2016 पेज 468 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति पर सुनवाई नहीं कर, प्रकरण को शेष अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस व जवाब/सुनवाई में नियत कर रखा है, जो विधि सम्मत नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना–पत्र का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिसांगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार	को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के तीनो आवश्यक अवयवों यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में स्पष्ट विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	